बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

पत्र सं0 – वि0 प्रा0 (I) व 3 – 236/2000 693 पटना, दिनांक –3. 4. 2001

प्रेषक,

श्री श्रीराम पांडेय,
संयुक्त सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

सेवा में,

सचिव,
लघु सिंचाई विभाग/परिवहन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जन संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/उद्योग विभाग/ईख/गन्ना विकास विभाग/आरक्षी महानिरीक्षक गृह (आरक्षी) विभाग।

विषयः– शिशिक्षु अधिनियम 1973 एवं 1986 के अन्तर्गत कार्य विभागों में राजकीय पोलिटेकनिक/अभियंत्रण महाविद्यालयों के डिप्लोमा/स्नातक अभि. उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के संबंध मे।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि दिनांक 27. 2. 2001 में विकास आयुक्तकी अध्यक्षता में शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत डिप्लोमा एवं स्नातक अभियंत्रण उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में हुई बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जा रही है।

साथ ही सभी प्राचार्यों को संलग्न सूची के आलोक में कर्णांकित सीटों के अनुसार आपके विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का दिशा निदेश विभाग द्धारा दे दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि अपने विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अपने स्तर से दिशा निदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
संयुक्त सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

दिनांक 27.02.2001 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में शिशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत अभियंत्रण डिप्लोमा एवं स्नातक उर्त्तीण छात्रों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति – अनुलग्नक – क

विकास आयुक्त ने बताया कि राज्य में तकनीकी शिक्षण/प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य की प्राथमिकता है। इस पृष्ठभूमि में वे इस बात से बहुत चिन्तित हैं कि जो छात्र शिक्षण भी ले रहे हैं,वे शिशिक्षु अधिनियम के प्रावधान के अधीन प्रशिक्षण नहीं पा रहे हैं। डा. पी.सी. बसु, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कलकता ने बताया कि इस तरह बिहार के डिग्री एवं डिप्लोमाधारक छात्रों को अनुभव नहीं मिल पा रहा है। जिससे रोजगार बाजार में वे पिछड़ रहे हैं। प्रशिक्षण के मद में भारत सरकार द्वारा उन्हें बार्ड के माध्यम से दी जाने वाली आधी राशि से भी राज्य वंचित हो रहा है।

2. सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने बताया कि इस विषय की समीक्षा की गयी है। दुर्भाग्यवश राज्य के सीमित संख्या में छात्र अभियंत्रण डिप्लोमा और डिग्री पा रहे है। अतः यह exercise की गयी है कि शाखावार इन छात्रों को विभिन्न विभागों के साथ किस तरह प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जा सकता है। इससे संबंधित विवरणी संबंधित विभागों को परिचालित कर दी गयी है और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विभागों की प्रतिक्रिया जानकर अंतिम निर्णय लेना है।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि काडा और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी उनके विभाग के विरूद्ध दर्शा दी गयी है। सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी ने श्री सुरेश चन्द्रा, निदेशक, सी.डी.सी. को निर्देश दिया कि उन्हें क्रमशः कृषि विशेष कार्यक्रम विभाग एवं उद्योग विभाग के साथ सम्बद्ध करते हुए क्रमशः आयुक्त एवं सचिव, लघु सिंचाई एवं उद्याोग विभाग से अनुरोध किया जाये।

3. सचिव, परिवहन विभाग ने बताया कि बिहार राज्य परिवहन निगम के साथ 20 डिप्लोमा प्रशिक्षु सम्बद्ध करना उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए शायद संभव नहीं हो सकेगा। अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण ने इन सभी छात्रों को अपनी केन्द्रीय वर्कशॉप में प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की।

सचिव, पथ निर्माण विभाग ने कहा कि राज्य की इस प्राथमिकता को देखते हुये इसमें किसी भी विभाग की आपत्ति का कोई प्रश्न नहीं है। यह अवश्य है कि शिशिक्षु को यह अपेक्षा होने लगती है कि विभाग से उसे रोजगार भी मिलेगा जो संभव नहीं है। इसलिये स्थानीय पदाधिकारी प्रशिक्षण देने से कतराते है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के साथ 7 असैनिक अभियंत्रण 15 डिग्री छात्र और 100 डिप्लोमा छात्रों को प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत अपने विभाग के अधीनस्थ प्रमंडलों में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने पर सहमति व्यक्त की।

उन्होंने इसके अतिरिक्त यांत्रिक अभियंत्रण के 10 डिप्लोमा छात्रों को भी अपनी केन्द्रीय वर्कशॉप में प्रशिक्षण देने का ऑफर दिया जिस को सहर्ष स्वीकार किया गया।

विकास आयुक्त ने कहा कि जो विभाग उपस्थित नहीं है उनकी भी सहमति प्रस्ताव में समझी जाये।

4. इस बात पर चर्चा हुई कि नियोजक अभियंता रहें या उनके श्रेणी–1 के संवेदका यह निर्णय लिया गया कि नियोजक कार्यपालक अभियंता ही रहें।

5. प्रशिक्षु को स्टाइपेंड नियोजक द्धारा किये जाने के बाद उसकी आधी राशि की पुनर्वापसी बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कलकता को करना है। इस प्रकार बजट में संबंधित विभाग को पूरे भुगतान की ही व्यवस्था करनी है। सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग ने बताया कि आकस्मिकता मद से इस व्यय को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग अपनी योजना की आकस्मिकता मद से शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड निर्धारित दरों(डिग्री छात्रों के लिये 1630/– प्रतिमाह एवं डिप्लोमा छात्रों के लिये 1160/– प्रतिमाह) पर भुगतान करेंगे और तदुपरांत बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कलकता से आधी राशि की पुनर्वापसी प्राप्त कर सरकारी राज्स्व में जमा करेंगे। इस बिंदु पर अलग से वित्त आयुक्त का परामर्श भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

6. सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग ने बताया कि वह विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालयों/ पोलिटेकनिक संस्थानों में स्वीकृत छात्र बल के आधार पर विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच संख्या का वितरण कर देंगे। ताकि प्राचार्य कोर्स पूरा होने के पूर्व ही अपने स्तर से छात्रों को प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध कर सके। डा. बसु ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण की अवधि उस दिन से मानी जायेगी, जिस दिन से छात्र परीक्षा पास करते हैं या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं– दोनों में से जो बाद मे हो।

डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कलकता ने अनुरोध किया कि यदि 31 मार्च तक छात्रों को प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध कर दिया जायेगा तो वह आभारी होंगे। सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी ने श्री सुरेश चन्द्रा, निदेशक, सीडीसी को निर्देश दिया कि इसे सुनिश्चित किया जाये और इससे संबंधित एक संयुक्त केन्द्रीत विज्ञापन समाचार पत्रों को में दे दिया जाये ताकि जो छात्र पास कर स्कूल छोड़ चुके हैं, वे विद्यालय से सम्पर्क कर फार्म भरकर प्रशिक्षण अविलम्ब प्रारंभ कर सके।

ह०/–
(प्रत्युष सिन्हा)
विकास आयुक्त, बिहार, पटना।

अनुलग्नक – क

1. श्री प्रत्युष सिन्हा, विकास आयुक्त, बिहार, पटना
2. डा. पी.सी. बसु, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कलकता
3. श्री ए.के. चौधरी, कृषि उत्पादन आयुक्त
4. श्री ए. के. उपाध्याय, सचिव पथ निर्माण विभाग
5. श्री अनिल कुमार, सचिव ,विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग
6. श्री अशोक कुमार, सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग
7. श्री एन. के. सिंहा, सचिव, परिवहन विभाग
8. अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग
9- श्री सुरेश चन्द्रा, निदेशक, सीडीसी, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग।